संख्या-29 /2019/846 /46-1-19-1000(04)/2019

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(समस्त सम्बन्धित जनपद)

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2019

विषयः- गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) में **अनुदान संख्या-23 (सामान्य)** के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि रू. 1721.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-27/2019/509/46-1-19-1000(04) /2019, दिनांक 14-06-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-9 में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्थान पर त्रुटिवश चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 अंकित हो गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 14-06-2019 के प्रस्तर-9 में अंकित चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थान पर चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 14-06-2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-29/2019/846 (1)/46-1-19-1000(04)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
7. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ.प्र., इन्दिरा भवन, लखनऊ।
9. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
10. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।
11. समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी।
12. संबंधित जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।
13. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.,।
14. नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2
15. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है